कार्यालय, जिला परिषद सिमडेगा

संवेदकों के निबंधन का नवीकरण हेतु सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद सिमडेगा अंतर्गत निविदा के माध्यम से कार्यान्वित होने वाले सभी योजनाओं में निविदा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में निंबधन का नवीकरण हेतु संवेदकों से निर्धारित आवेदन परिशिष्ट –''क'' एवं उसके साथ संलग्न किये जाने वाले निम्नांकित आवश्यक कागजात के साथ आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र **हेतु निर्धारित शुल्क 500/– (पाँच सौ रुपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव, जिला परिषद सिमडेगा** के पदनाम से निर्गत एवं सिमडेगा में भुगतेय होगा, जिला परिषद के कार्यालय में **दिनांक 09.02.2017 से 16.02.2017 तक कार्यालय अवधि** में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। इस तिथि के बाद आवेदन पत्र की बिक्री नहीं की जायेगी ।

1. मूल निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति । (स्वअभिप्रमाणित)
2. परिशिष्ट ''क'' में आवेदन पत्र ।
3. पैन कार्ड की छायाप्रति किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
4. आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof आधार कार्ड/स्थानीय/आवासीय प्रमाण पत्र) किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
5. आवेदन पत्र में चिपकायी गई हाल की ली गई रंगीन फोटो की स्वअभिप्रमाणित प्रति ।
6. निबंधन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो सचिव, जिला परिषद सिमडेगा के पदनाम से निर्गत एवं सिमडेगा में भुगतेय होगा ।
7. यदि पावर ऑफ एटॉर्नी है तो इसकी अभिप्रमाणित प्रति ।
8. शपथ पत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि पूर्व में उन्हें किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। (मूल प्रति)
9. हाल में खींची गई पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो की दो अतिरिक्त प्रति (नाम लिखा हुआ) स्वअभिप्रमाणित ।
10. उपायुक्त अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र ।
11. वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति ।
12. निबंधन नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ **आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2017 से 22.02.2017 तक जिला परिषद कार्यालय, सिमडेगा में कार्यालय अवधि** के अंतर्गत जमा किया जा सकेगा। इस तिथि के पश्चात् आवेदन जमा नहीं लिये जायेंगे ।

संवेदकों का जिला परिषद अंतर्गत समस्त कार्यों के निर्माण कार्य/मरम्मति/सुधार/अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए श्रेणीवार निबंधन का नवीकरण शुल्क निम्न प्रकार है :–

श्रेणी	**निविदा राशि की सीमा**	**बैंक गारंटी/पूंजी होने (Asset Value) संबंधी प्रमाण पत्र**	**नवीकरण शुल्क**
I	5 लाख (पाँच लाख) रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम ।	20,000/-	5,000/-
II	5 लाख (पाँच लाख) रुपये से उपर किन्तु 10 लाख (दस लाख) रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम ।	40,000/-	10,000/-
III	10 लाख (दस लाख) रुपये से उपर किन्तु 25 लाख (पचीस लाख) रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम ।	50,000/-	15,000/-
IV	25 लाख (पचीस लाख) रुपये से उपर किन्तु 50 लाख (पचास लाख) रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम ।	1,00,000/-	25,000/-
V	50 लाख (पचास लाख) रुपये से उपर किन्तु 2.50 करोड़ (दो करोड़	5,00,000/-	1,00,000/-

	पचास लाख) रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम ।		
VI	2.50 करोड़ (दो करोड़ पचास लाख) रुपये से उपर कार्यों का निविदा देने के लिए सक्षम	10,00,000/-	2,00,000/-

(क) निबंधन पाँच वर्षों के लिए मान्य होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व नवीकरण निर्धारित शुल्क जमा कर कराया जा सकता है।

(ख) निबंधन अवधि के समाप्ति के प"चात् मात्र अगले तीन माह अर्थात् 90 दिनों के अंदर संबंधित श्रेणी के लिए वर्णित शुल्क डेढ़ गुणा रा"ि जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के प"चात् नवीकरण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(ग) इस आ"ाय का शपथ पत्र की आवेदक व्यक्ति अथवा उन पर आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य/आवेदक फर्म को इस नियमावली के नियम 10 एवं 11 में वर्णित किसी भी कदाचार में संलिप्तता के लिए कभी दंडित अथवा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। (मूल प्रति)

(घ) सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों की स्वीकृति सूची से हटाये गये व्यक्ति, निलंबित सरकारी सेवक, न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति एवं किसी भी विभाग द्वारा असैनिक कार्यों हेतु प्रतिबंधित/काली सूची में अंक्ति व्यक्ति/फर्म के आवेदक होने की स्थिति में ऐसे आवेदक का निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायगा ।

(च) विभाग द्वारा काली सूची में अंकित संवेदक या साझेदार, यदि किसी अन्य संस्थानों या संवेदकों से जुड़कर एवं गलत जानकारी देकर फिर से निबंधन कराते हैं तो उक्त त्रुटिपूर्ण निबंधन को खारिज करते हुए उनके तथा संबंधित संस्थनों के Board of Directors of Governes अथवा Partners के विरूद्ध वैद्यानिक कार्रवाई की जायगी ।

(छ) ऐसे संवेदक जिला परिषद में निविदा समर्पित करने के हकदार नहीं होंगे, जिसमें उनके नजदीकी संबंधी (पति/पत्नी/माता–पिता/साझेदार अथवा सहोदर बहन) लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

उपरोक्त नियम एवं शर्त्तों के अनुसार सभी वांछित दस्तावेजों के साथ पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र ही मान्य किये जायेंगे। अपूर्ण अथवा वांछित दस्तावेज के साथ जमा नहीं किये जाने पर आवेदन को अमान्य (रद्द) कर दी जाएगी।

ह0/–
जिला अभियंता,
जिला परिषद सिमडेगा

ह0/–
सचिव
जिला परिषद सिमडेगा ।

ज्ञापांक 25(ii)/जि0प0 दिनांक 17.01.2017

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आव"यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का विज्ञापन स्थानीय अखबारों में प्रका"ात किया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी सिमडेगा जिला को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट में भी प्रका"ात करना सुनि"चत किया जाय ।

प्रतिलिपि :– DIO, NIC Simdega को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि यह सूचना जिला के बेवसाईट पर अपलोड किया जाय ।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

ह0/–
सचिव,
जिला परिषद, सिमडेगा ।